रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229355
CG-DL-E-02092021-229355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
No. 245] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(मामला संख्या- एमटीआर- 1/2021)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्यूमिनियम अलॉय रोड व्हील्स'' के आयातों के संबंध में मध्यवर्ती जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/12/2021-डीजीटीआर.— 1. जे जे एफ कास्टिंग लिमिटेड, मेक्सिऑन व्हील्स एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (जिन्हें यहां ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (जिस यहां ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्यूमिनियम अलॉय रोड व्हील्स'' (जिन्हें यहां ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''संबद्ध वस्तुएं'' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मध्यवर्ती समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में एक आवेदन दायर किया है ।

2. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरूद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क का पुनर्मूल्यांकन और उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है जब वह सी आई टी आई सी डिकॉस्टल कंपनी लिमिटेड, एस एम एक्स डिकॉस्टल व्हील मैन्युफैक्चर

कंपनी लिमिटेड, क्विनहुआंगदाओ डाएकाजिंगलांग व्हील मैन्युफैक्चरिंग कं. लिमिटेड, क्विंगडाओ जियांगलोंग व्हील्स कं. लिमिटेड और बिंनझोऊ मोरओवर डिकेस्टल व्हील कं. लिमिटेड को सन्निहित करने वाले डिकॉस्टल ग्रुप द्वारा निर्यातित किए जाते हैं । इसके अलावा, आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में नमूनों (सैंपलिंग) का सहारा लिया था और निम्नलिखित उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क डिकॉस्टल ग्रुप के लिए मार्जिन के आधार पर निर्धारित किए गए थे, निम्नलिखित के लिए भी शुल्कों को बढ़ाया जाना चाहिए :-

क. झेजियांग जिनफेई कैदा व्हील कं. लिमिटेड

ख. शानडोंग शुआंग वांग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड

ग. झेजियांग शुगुआंग इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड

क. <u>पिछली जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 14/7/2012-डीजीएडी दिनांक 9 जून, 2014 के अनुसार चीन जन. गण., कोरिया आर.पी. और थाइलैंड से एल्यूमिनियम अलॉय रोड व्हील्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की थी जिन्हें दिनांक 22 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 21/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार लागू किया गया था।

4. तत्पश्चात, पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा आयोजित की और अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 7/31/2018-डी जी टी आर दिनांक 29 मार्च, 2019 के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की । तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा फिर से निर्धारित की और शुल्कों की संशोधित मात्रा अधिसूचना सं. 17/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 9 अप्रेल, 2019 के अनुसार शुल्कों की संशोधित मात्रा को प्रभावी किया गया । आवेदकों ने अधिसूचना सं. 17/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्कों की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है ।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. वर्तमान जांच के मध्यवर्ती समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पिछली जांचों में था । विचाराधीन उत्पाद:

14. मोटर वाहनों में प्रयुक्त होने वाला 'कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स अथवा अलॉय रोड व्हील्स (ए आर डब्ल्यू) है, चाहे वह 12 इंच से लेकर 24 इंच व्यास आकार के उनके सहायक उपकरण के साथ संलग्न है या नहीं' ।

6. संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ कोड 8708 70 00 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

ग. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं । आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के तुलनीय वस्तुएं हैं । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इन्हें नियमावली के तहत ''समान वस्तु'' माना जाना चाहिए । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है ।

घ. <u>घरेलू उद्योग</u>

8. आवेदन को भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में, जे.जे. एफ कास्टिंग लिमिटेड, मैक्सिऑन व्हील्स एल्युमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख समानुपात संस्थापित करता है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है ।

ड. समीक्षा के लिए आधार

9. आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित के कारण डिकॉस्टल ग्रुप के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्याकन करने की जरूरत है :-

क. प्राधिकारी ने केवल एक निर्यातक ग्रुप, जोकि डिकॉस्टल ग्रुप है, के आधार पर सभी नॉन सैंपल्ड उत्पादकों के लिए मार्जिन निर्धारित किए हैं।

ख. प्राधिकारी ने मार्जिन निर्धारित किए हैं और डिकॉस्टल ग्रुप और एक असंबद्ध उत्पादक जोकि बिनशाऊ मोरओवर डिकॉस्टल व्हील कं. लिमि. है, द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर, उन्हें एकल सत्ता मानते हुए, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। हालांकि, संबंधित और असंबंधित सत्ताओं के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित किए जाने चाहिए। डिकॉस्टल ग्रुप पर उत्पादक के रूप में और निर्यातक के रूप में शुल्क समान है।

ग. उत्पाद का प्रकार ऐसा है कि उपभोक्ता उत्पाद, डिजाइन, मोल्ड, विनिर्माण परिसर के स्रोत को अनुमोदन देता है और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश के प्रयोजन के लिए मोल्डिंग करना होगा।इसलिए, ग्राहक दीर्घकालिक व्यवसाय पर विचार करते हैं।

घ. बातचीत के क्रम में आवेदकों ने आरोप लगाया है कि डिकॉस्टल ग्राहकों को बताई गई कीमत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम कीमतों पर उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है।

ड. पिछली जांच और वर्तमान में डिकास्टल ग्रुप के लिए मुख्य आयातक फोर्ड इंडिया है। हालांकि, फोर्ड ग्रुप के पास वैश्विक रूप से सत्ताओं की एक बड़ी संख्या है और अधिप्राप्ति चीन से केन्द्रीय रूप से नियंत्रित की जाती है। आवेदकों ने दावा किया है कि इसके परिणामस्वरूप डिकॉस्टल और फोर्ड के बीच विशेष संबंध का निर्माण हुआ है और इसने दोनों को निर्यात कीमत को अविश्वसनीय बनाने वाली प्रतिपूरक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी है। निर्यात कीमत का निर्माण किए जाने की जरूरत है जैसाकि अधिनियम की धारा 9क के तहत उपलब्ध कराया गया है।

छ. आवेदकों ने पिछली जांच में फोर्ड द्वारा जरूरी दस्तावेजों को उपलबध कराए जाने के संदर्भ में असहयोग किए जाने पर प्रकाश डाला है।

इसलिए आवेदकों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाए जाने की जरूरत है।

च. जांच शुरूआत

10. भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर, और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर पहले लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा के लिए प्रथमदृष्टया पाटन की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य के आधार पर, और नियमावली के नियम 23 (1क) के साथ पठित धारा 9 क के अनुसरण में प्राधिकारी, एतद्वारा चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं पर पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि करने की जरूरत की जांच करने के लिए एक मध्यवर्ती समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

11. वर्तमान मध्यवर्ती जांच का दायरा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं तक ही सीमित है।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 (15 महीने) है।

झ. प्रक्रिया

13. यह समीक्षा जांच दिनांक **29 मार्च, 2019** की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. **7/31/2018**-डीजीएडी और अधिसूचना सं. **17/2019**-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और लागू शुल्कों की मात्रा तक सीमित रहेगी।

14. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

16. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

समय सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in,adv13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण की शर्त में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जिसको यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ठ. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

23. ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. **<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

29. हितबद्ध पक्षकार नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के ब्यौरे वाले अगोपनीय पाठ को शामिल करने वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं । सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक मोड में अनुरक्षित करने के तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

ढ. **<u>असहयोग</u>**

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Case No. : MTR – 1/2021)

Subject: Initiation of mid-term review investigation concerning imports of "Aluminium Alloy Road Wheels" originating in or exported from China PR

F. No. 7/12/2021-DGTR.—1. JJF Castings Limited, Maxion Wheels Aluminium India Private Limited and Steel Strips Wheels Limited (hereinafter also referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") as domestic industry of the like article in India, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of mid-term review investigation concerning imports of "Aluminium Alloy Road Wheels" (hereinafter also referred as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as "subject country").

2. The Applicants have submitted that there is a need to re-evaluate and enhance the anti-dumping duty levied against imports of subject goods when exported by the Dicastal Group, comprising of CITIC Dicastal Co Limited, SMX Dicastal Wheel Manufacture Co., Limited, Qinhuangdao Daikaxinglong Wheel Manufacturing Co., Limited, Qinhuangdao Xinglong Wheels Co Limited and Binzhou Movever Dicastal Wheel Co Limited. Further, the Applicants have also submitted that since the Designated Authority had resorted to sampling in the earlier investigation and the anti-dumping duty for the following producers were determined on the basis of the margins for the Dicastal group, the duties for the following also needs to be enhanced.

a. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Limited

b. Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co., Limited

c. Zhejiang Shuguang Industrial Co., Limited

A. **<u>Background of previous investigation</u>**

3. The Designated Authority recommended anti-dumping duty on imports of aluminium alloy road wheels from China PR, Korea RP and Thailand vide final findings F. No. 14/7/2012 – DGAD dated 9th June 2014, which was levied vide Notification No. 21/2015 – Customs (ADD) dated 22nd May 2015.

4. Thereafter, after expiry of a period of five years, the Authority conducted sunset review and vide final findings F. No. 7/31/2018 – DGTR dated 29th March 2019, and recommended continuation of anti-dumping duties. The

Designated Authority, however, determined the quantum of anti-dumping duties afresh, and the modified quantum of duties were given effect vide Notification No. 17/2019 – Customs (ADD) dated 9th April 2019. The Applicants have requested for enhancement of the anti-dumping duties levied vide Notification No. 17/2019 – Customs (ADD) dated 9th April 2019.

B. Product under consideration

5. The present investigation being a mid-term review, the scope of the product under consideration is the same as that in previous investigations. The product under consideration is:

"Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches"

6. The subject goods are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under the tariff code 8708 70 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C. Like article

7. The Applicants have claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by them. Subject goods produced by the Applicants are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country

D. Domestic industry

8. The application has been filed by JJF Castings Limited, Maxion Wheels Aluminium India Private Limited and Steel Strips Wheels Limited, as domestic producers of the like article in India. The domestic producers constitute a major proportion of the total domestic production, and therefore, constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

E. Grounds for review

9. The applicants have claimed that there is a need for re-evaluation of dumping margin and injury margin for the Dicastal Group, due to the following.:

a. The Authority determined the margins for all non-sampled producers on the basis of only one exporting group, that is, the Dicastal Group.

b. The Authority determined margins and recommended anti-dumping duty on goods produced by Dicastal Group and unaffiliated producer, that is, Binzhou Movever Dicastal Wheel Co. Ltd, considering them one entity. However, separate margins should be determined for the related and unrelated entities. Duty on Dicastal Group as producer and as exporter is the same.

c. The product is such that the consumer approves the source of the product, the design, the mould, the manufacturing premises; and the supplier has to undertake moulding for the purpose of the order. Therefore, customers usually consider long-term business.

d. In negotiating orders, the Applicants have alleged that Dicastal is supplying the product at significantly lower prices than that being reported to the Customs.

e. The major importer for Dicastal Group in the previous investigation and at present is Ford India. However, the Ford Group has a number of entities globally and the procurement is managed centrally from China. The applicants have contended that this has resulted in special relationship between Dicastal and Ford, and the same has allowed the two to enter into a compensatory arrangement, rendering export price unreliable. The export price is required to be constructed as provided under Section 9A of the Act.

f. The applicants have highlighted the non-cooperation by Ford in the previous investigation, in terms of providing the necessary documentation.

The Applicants have therefore, claimed that there is a need for enhancement of anti-dumping duties levied.

F. Initiation

10. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic producers of the like article in India, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating dumping need for a mid-term review of anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from China PR, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23(1A) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a mid-term review to examine the need for enhancement in the quantum of the anti-dumping duty earlier extended

on subject goods from China PR.

G. Subject Country

11. The scope of the present mid-term review is confined to the subject goods originating in or exported from China PR.

H. Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation (POI) in the present investigation is 1st January 2020 to 31st March 2021 (15 months).

I. Procedure

13. The review would be limited to the dumping margin and injury margin determined and quantum of duties levied vide final findings F. No. 7/31/2018 – DGTR dated 29th March 2019 and Notification No. 17/2019 – Customs (ADD)

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review

J. Submission of Information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID- 19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

16. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending

upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. <u>Inspection of Public File</u>

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. <u>Non-cooperation</u>

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.02 15:30:40 +05'30'